यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड, उत्तरकाशी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड, उत्तरकाशी के माह 10/2018 से 1/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 29/01/2021 से 09/02/2021 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस एस राणा व श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक के द्वारा दिनांक 29/10/18 से दिनांक 05/11/18 के मध्य माह 02/2016 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित श्री आई के जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 10/2018 से माह 01/2021 तक के अभिलेखो की जांच की गयी थीं।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य/अनुरक्षण के कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला – उत्तरकाशी है।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2017-18		-	248.60	238.64	2497.88	2077.24		
2018-19		-	291.55	280.23	3596.29	2343.42		
2019-20		-	319.52	317.56	2943.32	2486.88		
2020-21 (12/20 तक)		-	273.18	271.15	3074.94	2095.15		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-) अधिक्य (+)
2017-18	पी एम जी एस वाई		2377.99	1932.80	
2018-19	,,		3542.42	2281.52	
2019-20	,,		2842.30	2375.39	
2020-21	,,		3065.44	2085.66	

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "ए" है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , ग्राम्य विकास

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई, उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

(5)अधीक्षण अभियंता, मसूरी (7) अधिशासी अभियंता (8) सहायक अभियंता

(9) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्ठ सहायक ।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई सिचाई खंड, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 एवं 10/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा गंगोरी से डोडीताल मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में शून्य निरीक्षण किया गया।
5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
6. फार्म 51: माह 12/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)(प्रेषित नहीं किया गया है) ।

   भाग प्रथम ... शून्य

   भाग द्वितीय .... शून्य

   खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..01/2021 के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... शून्य

   (ख) सामग्री क्रय....शून्य

   (ग) नगद परिशोधन....शून्य

   (घ) निक्षेप....रु 4,51,677

   (ङ) भण्डार....शून्य

भाग- II (अ)

प्रस्तर- 1 : सड़क निर्माण मे रु0 50.17 लाख का अर्थदण्ड न लगाया जाना, रु0 33.00 लाख का परिहार्य व्यय, जी0एस0बी0 हेतु रु0 58.58 लाख का अनावश्यक व्यय एवं रु0 90.20 लाख के अधिक व्यय की स्वीकृति प्राप्त न किया जाना।

गंगोरी से डोडीताल मोटर मार्ग, स्टेज-II, लम्बाई 0-16 किमी0के उच्चीकरण एवं पाँच वर्ष अनुरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा रु0 603.05 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त सड़क निर्माण हेतु दिनांक 28.08.2014 को मैसर्स उपेन्द्र सिंह राणा, देहारादून के साथ रु0 576.68 लाख (रु0 501.74 लाख निर्माण कार्य हेतु एवं एवं रु0 74.94 लाख अनुरक्षण कार्य हेतु) का अनुबंध गठित किया गया था। गठित अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि 28.08.2014 तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 27.02.2016 थी। कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, वृत्त लो0नि0वि0 मसूरी के पत्र दिनांक 10.06.2016 के द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में रु0 7.35 लाख के विचलन एवं रु0 377.71 लाख के अतिरिक्त मद की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त सड़क निर्माण से संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित तथ्य संगयान में आए:-

1. उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 27.02.2016 थी जबकि संप्रेक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका था। उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में दिनांक 20.06.2017 तक की समयवृद्धि स्वीकृत थी। गठित अनुबंध के बिन्दु 24(a) के अनुसार निर्माण कार्य समय से पूरा न करने की दशा में ठेकेदार पर आरंभिक संविदा मूल्य का 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम 10% Liquidated Damages लगाया जाना चाहिए था, जोकि नहीं लगाया गया।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी standard Bidding Document 2015 के बिन्दु 13.1 के अनुसार निर्माण कार्य की क्षति, Plant and Material की क्षति, Equipment की क्षति और उपरोक्त के अतिरिक्त loss of Property in connection with Contract, Insurance के द्वारा cover किया जाएगा। बिन्दु 13.2 के अनुसार ठेकेदार निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व बीमा पॉलिसी संबन्धित कार्यालय को जमा करेगा।

उपरोक्त सड़क निर्माण के दौरान वर्ष 2016 में आई आपदा के कारण निर्माणाधीन मार्ग में जो क्षति हुई थी उसे उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू0आर0आर0डी0ए0) के पत्र दिनांक 24 फरवरी 2018 के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्राप्त रु0 20.00 लाख एवं वर्ष 2018-19 में रु0 13.00 लाख की धनराशि क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत कार्यों पर व्यय की गयी थी, जबकि आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत हेतु रु0 33.00 लाख के व्यय बीमा से cover किया जाना चाहिए था, जो कि बीमा न कराये जाने के कारण नहीं किया जा सका।

3. IRC-SP20 संस्करण 2002 के बिन्दु 4.3.3 एवं IRC-72 संस्करण 2015 के बिन्दु 5.2 के अनुसार ग्रामीण सड़क के निर्माण में G.S.B. के लिए लोकल सामग्री के प्रयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त सड़क निर्माण में ठेकेदार के द्वारा 5756.19 cum Well Graded G.S.B. का प्रयोग किया गया जिसके लिए इकाई द्वारा ठेकेदार को रु0 1500/- प्रति cum की दर से कुल रु0 86,34,285.00 का भुगतान किया गया। यदि निर्माण कार्य में G.S.B. के लिए

लोकल सामग्री का प्रयोग किया जाता तो लोकल सामग्री की दर रु0 482.30 प्रति cum की दर से रु0 27,76,210.00 का भुगतान करना होता। इस प्रकार इकाई द्वारा लोकल सामग्री का प्रयोग किया जाता तो रु0 58,58,075.00 के अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता था।

4. कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मसूरी के पत्र दिनांक 10.06.2016 के द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में रु0 377.71 लाख के अतिरिक्त मद की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई के द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मदों की निम्नलिखित चार मदों में स्वीकृत मात्रा से अधिक इकाई का प्रयोग किया गया था जिसकी स्वीकृति संबन्धित उच्चाधिकारियों से प्राप्त नहीं की गयी थी:-

क्रम सं0	कार्य की मद	स्वीकृत मात्रा	प्रयुक्त मात्रा	अधिक मात्रा	दर	मूल्य (रु)
01.	Excavation in foundation in all types of soil and rocks including leads, lifts and disposal of surplus	2776.24 cum	3857.98 cum	1081.74 cum	290.90	3,14,678.17
02.	Random Rubble Stone masonry laid in 1:5 cement, local sand mortar by locally available approved stone	2758.07 cum	4882.60 cum	2124.53 cum	3657.70	77,70,893.38
03.	Same as above item but laid dry for retaining wall and breast wall	2835.56 cum	3094.93 cum	259.37 cum	1985	5,14,849.45
04.	Providing and laying of mechanically woven double Nos. Twisted Hexagonal shaped gabions of size 3Mx1.0Mx1.0M with two diaphragms.	289.00 Nos.	346.00 Nos.	57 Nos.	7367.20	4,19,930.40
					योग	90,20,351.40

इस प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त 04 अतिरिक्त मदों में स्वीकृत मात्रा से रु0 90.20 लाख का अधिक व्यय किया गया जिसकी स्वीकृति उच्चाधिकारियों से प्राप्त नहीं की गयी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि:-

1. वर्तमान में ठेकेदार ने अप्रैल 2021 तक की समयवृद्धि के लिए आवेदन किया गया है, जिसको स्वीकृत कराने की कार्रवाई कराने की कार्रवाई की जाएगी।
2. ठेकेदार से बीमा कराने की कार्रवाई की जाएगी।
3. डी0पी0आर0 एवं अनुबंध में Well Graded Material का प्रावधान होने के कारण Well Graded Material का उपयोग किया गया।
4. कार्यस्थल की स्थिति के अनुसार निर्माण सामग्री को उपयोग में लाया गया, उपरोक्त 04 मदों पर अधिक व्यय की गयी धनराशि को स्वीकृत कराने की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि:-

1. समयवृद्धि स्वीकृत ना होने के कारण अर्थदण्ड (Liquidated damage) की वसूली की जानी चाहिए थी।
2. निर्माण कार्य का बीमा न कराये जाने के कारण रु0 33.00 लाख सरकारी धन का व्यय किया गया था, जिसे बीमा से कवर किया जाना चाहिए था।
3. जी0एस0बी0 हेतु लोकल सामग्री का प्रयोग करके रु0 58.58 लाख के अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता था।
4. रु0 90.20 लाख के अधिक व्यय की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी।

अतः सड़क निर्माण मे रु0 50.17 लाख का अर्थदण्ड न लगाया जाना, रु0 33.00 लाख का परिहार्य व्यय, जी0एस0बी0 हेतु रु0 58.58 लाख का अनावश्यक व्यय एवं रु0 90.20 लाख के अधिक व्यय की स्वीकृति प्राप्त न करने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1 - *ठेकेदारो से लंबित वसूली रु 117.37 लाख ।*

स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की शर्तो के अनुसार ठेकेदार को कार्यो के सुचारु रूप से सम्पादन हेतु बैंक गारंटी प्राप्त कर, अग्रिम की व्यवस्था की गयी है। जिसकी पूर्व निर्धारित समय सीमा के अनुसार किश्ते निर्धारित कर वसूली/समायोजन किया जाना चाहिए।

जनपद उत्तरकाशी मे निर्मित किए जा रहे ग्रामीण मार्गो कार्य के सापेक्ष अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड,उत्तरकाशी द्वारा ठेकेदारो को दिये गए मोबिलाइजेशन एवं मशीनरी अग्रिम से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच (02/2021) मे पाया गया कि निम्न तीन ठेकेदारो को अनुबंध संख्या 79/CE-URRDA/2019-20 के सापेक्ष रु 46.98 लाख, अनुबंध संख्या 117/CE-URRDA/2018-19 के सापेक्ष रु 81.79 लाख एवं अनुबंध संख्या 109/CE-URRDA/2018-19 के सापेक्ष रु 35.59 लाख अर्थात कुल रु 164.43 लाख[1] का ब्याज रहित अग्रिम का भुगतान किया गया था। किन्तु 02 वर्ष व्यतीत हो जाने एवं अनुबंध के अनुसार कार्य की अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद रु 117.37 लाख[2] अग्रिम की वसूली संबन्धित ठेकेदारो से लंबित थी। उसके समायोजन/वसूली के लिए कोई पूर्व निर्धारित समय सीमा के अनुसार किश्ते निर्धारित नही की गयी थी। जबकि उक्त मे से एक ठेकेदार श्री कलम सिंह राणा द्वारा दी गयी बैंक गारंटी की वैधता भी दिनांक 30.09.2020 को समाप्त हो चुकी थी तथा दूसरे ठेकेदार श्री पूर्णानन्द व्यास से चतुर्थ चालू देयक के बाद अग्रिम की कोई कटौती/वसूली नही की गयी थी, जबकि उसको सात चालू देयकों का भुगतान किया जा चुका था। साथ ही उक्त ठेकेदारो को मशीनरी अग्रिम के रूप मे रु 102.53 लाख[3] का ब्याज रहित भुगतान किया गया था। किन्तु ठेकेदारो द्वारा मशीनरी खरीद किए जाने का कोई प्रमाण/invoices/बिल खंड मे प्रस्तुत नही गए थे। जबकि नियमानुसार ठेकेदार को अग्रिम केवल उस कार्य मे प्रयोग हेतु मशीनरी खरीद हेतु ही अग्रिम दिया जाना चाहिए तथा उसे उसका प्रमाण स्वरूप invoices/बिल खंड मे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। जो नही किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि शासकीय धन से ठेकेदारो को लाभ पाहुचाया जा रहा था।

लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण इंगित किए जाने पर खंड द्वारा आपत्ति को स्वीकारते हुये उत्तर मे अवगत कराया गया कि ठेकेदारो को दिये गए अग्रिम की वसूली यथाशीघ्र कर ली जाएगी साथ ही अग्रिम राशि से मशीनरी खरीद के सम्बंध मे प्रमाण स्वरूप invoices/बिल खंड मे प्रस्तुत करने के सम्बंध मे ठेकेदार से पत्राचार किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित समयवधि मे ठेकेदारो से ब्याज रहित अग्रिम की वसूली न कर उन्हे लाभ दिया जा रहा था। साथ ही रु 102.53 लाख के मशीनरी अग्रिम के संबंध मे अनुबंध की शर्तो के अनुसार कोई प्रमाण न प्रस्तुत करने पर ठेकेदारो के विरुद कोई कार्यवाही न कर शासकीय राशि से ठेकेदार को अनियमित रूप सहायता पहुंचाई गई थी।

अत: ठेकेदारो से रु 117.37 लाख के अग्रिम की लंबित वसूली एवं शासकीय राशि से ठेकेदार को अनियमित तरीके से मशीनरी अग्रिम के रूप मे रु 102.53 लाख की सहायता पहुचाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

---

[1] ठेकेदारो को दिया गया *अग्रिम की राशि* ***रु 164.37 लाख*** *(अनुबंध सं 79/CE-URRDA/2019-20 के सापेक्ष रु 4698000,अनुबंध सं 117/CE-URRDA/2018-19 के सापेक्ष रु 8179623, अनुबंध सं 109/CE-URRDA/2018-19 के सापेक्ष रु 3559650)*

[2] अग्रिम की *लंबित वसूली* ***रु 117.37 लाख*** *(अनुबंध सं 79/CE-URRDA/2019-20 के सापेक्ष रु 3341368,अनुबंध सं 117/CE-URRDA/2018-19 के सापेक्ष रु 6507128, अनुबंध सं 109/CE-URRDA/2018-19 के सापेक्ष रु 1889412)*

[3] *कुल* ***102.53 लाख*** *(अनुबंध सं 79/CE-URRDA/2019-20 के सापेक्ष रु 3132000,अनुबंध सं 117/CE-URRDA/2018-19 के सापेक्ष रु 4748573, अनुबंध सं 109/CE-URRDA/2018-19 के सापेक्ष रु 2373100)*

भाग –II (ब)

प्रस्तर 2 - मार्ग निर्माण कार्य मे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के मदों मे अधिकता का अनियमित भुगतान रु 42.70 लाख तथा भूमि अधिग्रहण के बिना ही मार्ग पर रु 660.75 लाख का कार्य कराया जाना ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज –XV के पैकेज संख्या UT-13-51के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी मे मल्ला सारी से सिल्ला मोटर मार्ग स्टेज-I के कार्य हेतु (लंबाई 9.60 किमी०) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून द्वारा निर्माण कार्य हेतु रु 618.33 लाख एवं अनुरक्षण मद हेतु रु 24.61 लाख की दिनांक 27.07.2017 को प्रदान की गयी। जिसमे Hill side cutting, Protection work, Cross drainage work एवं Hill side drain प्रावधान किए गए थे। जिससे संबन्धित अभिलेखो की जांच (01/2021) मे पाया गया कि:-

(क) उक्त मार्ग के स्टेज-1 कार्य के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाता मैसर्स रघबीर सिंह सजवान,घनसाली के साथ रु 689.68 लाख (निर्माण रु 662.12 लाख + अनुरक्षण रु 24.60 लाख) लागत का अनुबन्ध संख्या:01/UT-13-51(I)URRDA/2018-19 दिनांक: 03.04.2018 गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 08.04.2018 व समाप्ति की तिथि 07.07.2019 थी। किन्तु उक्त कार्य पर 13 वे चालू देयक के अनुसार रु 580.03 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद कार्य अभी तक भी पूर्ण नही किया गया था। स्टेज-1 का कार्य समाप्त किए बिना ही माह 03/2019 मे स्टेज-II की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर तथा उसमे GSB,G2,G3,एवं PC का प्रावधान कर स्टेज-2 का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया(10/2019), जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 17.07.2020 थी, जो तीन माह पूर्व व्यतित हो चुकी थी। स्टेज-II मे अनुबंध के सापेक्ष रु 88.72 लाख का भुगतान किया जा चुका था। जबकि संबन्धित ठेकेदार द्वारा अभी तक स्टेज-1 का कार्य भी पूर्ण नही किया गया था, न ही लेखापरीक्षा तिथि तक उसका अंतिमीकरण किया गया था। साथ ही स्थानीय जनता भी मार्ग के लाभ से 03 वर्ष बाद भी वंचित थी। साथ ही आगे अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा स्टेज-I मे RR Stone masonry laid in dry.etc एवं Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4mm dai. etc मदों मे बिना सक्षम अधिकारी से विभिन्नता विवरण ((Variation) स्वीकृत कराये ठेकेदार को रु 42.70 लाख[4] का अतरिक्त भुगतान कर दिया गया।

(ख) साथ ही वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -06 के प्रावधान नियम 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए इसी प्रकार पी एम जी एस वाई दिशा निर्देश पुस्तिका 2015 के नियम 6.12 व 9.3 के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -15 के अंतर्गत संख्या यू टी -11-45 के अनुसार थान से साबली मल्ली मोटर मार्ग स्टेज-1 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकर्ति दिनांक **27.07.2017** को 9.60

---

[4] *RR Stone masonry laid in dry.etc रु 1999579/ (मात्रा मे variation 1023.19 cum * दर रु 1954.26@cum)*
*Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4mm dai. etc रु 2270502/ (मात्रा मे variation 1169.74 cum * दर रु 1940.70@cum)*

किमी0 की सड़क निर्माण हेतु प्रदान की गयी थी। जिसके अनुसार डी0पी0आर0 मे वनभूमि (3.130 हे०) एवं पाइवेट भूमि (3.896 हे०) के प्रतिकर हेतु **रु 86.35 लाख** का प्रावधान किया गया था जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था,किन्तु खंड द्वारा प्राइवेट भूमि हेतु प्रावधान की गयी राशि रु 34.23 लाख का वितरण अभी तक नही किया गया था। न ही भूमि अधिग्रहण की गयी थी। जबकि उक्त मार्ग पर लेखापरीक्षा तिथि तक स्टेज-I हेतु रु 580.03 लाख एवं स्टेज-II हेतु रु 88.72 लाख का व्यय किया जा चुका था। अनुबंध के अनुसार स्टेज-I एवं स्टेज-II कार्य पूर्ण होने की तिथि भी व्यतीत हो चुके थे । किन्तु भूमि अधिग्रहण अभी तक लंबित था।

(ग) अनुबंध की शर्तो (स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से ले कर समापन तक कार्य के नुकसान या क्षति**,** व्यक्तिगत क्षति और मशीनरी एवं उपकरण आदि की क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर कराएगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (**I)** अनुबंधित राशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों**,** प्लांट एवं सामग्री (**II)** अनुबंधित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (**III)** अनुबंधित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

किन्तु अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड- उत्तरकाशी के अंतर्गत किए जा रहे ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य मल्ला सारी से सिल्ला मोटर मार्ग स्टेज-I & II के निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि उक्त कार्य हेतु गठित किए गए अनुबन्ध (स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदारो द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गई न ही विभाग द्वारा अनुबंध के अनुरूप 01 प्रतिशत की कटौती की गई। जबकि उक्त कार्य स्टेज-I एवं II की अनुबंधित धनराशि रु 1142.07 (689.68 + 452.39) लाख के सापेक्ष 01 प्रतिशत की इन्शोरेंस की धनराशि रु 11.42 लाख की कटौती की जानी चाहिए थी। जो नही की गयी, जिससे प्रतीत होता है कि नियमानुसार कटौती न कर ठेकेदार को रु 11.42 लाख का लाभ दिया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बिन्दु (क) संबंध मे अवगत कराया गया कि ग्रामीणो द्वारा विवाद किए जाने एवं मानसून मे भारी बरसात के कारण कार्य मे विलंभ हुआ urrda द्वारा स्टेज-II का अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही विभिन्नता विवरण तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करा लिया जाएगा। बिन्दु (ख) के संबंध मे अवगत कराया गया कि भूमि प्रतिकर प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। ग्रामीणो द्वारा प्रतिकर/मुआवजे की मांग की जा रही है जिसकी राशि अभी राज्य सरकार से प्राप्त नही हुई है। साथ ही बिन्दु (ग) के संबंध मे अवगत कराया गया कि बीमा हेतु संबन्धित ठेकेदारो से पत्राचार किया जाएगा यदि ठेकेदार द्वारा बीमा उपलब्ध नही कराया जाता तो आगामी देयकों से कटौती का ली जाएगी।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि नियमानुसार खंड द्वारा उक्त मदों मे अधिकता के भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी, साथ ही उक्त प्रावधानों के विपरीत भूमि आधिग्रहण किए बिना ही मार्ग पर रु 660.75 लाख का व्यय किया जा चुका था जबकि 03 वर्ष बाद भी किसानो को प्रतिकर का वितरण किया जाना अपेक्षित था। साथ ही ठेकेदार द्वारा नियमानुसार इन्शोरेंस न करने पर, उसके बिलो से रु 11.42 लाख की वसूली की जानी चाहिए थी। जो नही की गयी।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग –II (ब)

प्रस्तर-3 अनियमित रूप से कार्य प्रारम्भ कर रु 353.88 लाख राशि व्यय किए जाने का प्रकरण।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -06 के प्रावधान नियम 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए इसी प्रकार पी एम जी एस वाई दिशा निर्देश पुस्तिका 2015 के नियम 6.12 व 9.3 के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-xv के अंतर्गत संख्या यू टी-13-55 के अनुसार जामक से कामर मोटर मार्ग स्टेज-1 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकर्ति भारत सरकार का पत्र संख्या पी,17024/27/2017-आर सी (एफ़एमएस-355978) दिनांक 12.07.2017 के द्वारा 9.950 किमी नई सड़क निर्माण हेतु रु 666.96 लाख की प्राप्त हुई थी यह निर्माण कार्य दिनांक 09/12/18 को प्रारम्भ हुआ एवं दिनांक 08/3/2020 तक पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि-

(1) स्वीकृत राशि रु 666.96 लाख के सापेक्ष रु 337.69 लाख राशि व्यय की गयी थी।

(2) प्रतिकर का प्रावधान /भुगतान नहीं किया गया था। साथ ही भूमि बिना अधिग्रहण किए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, अंतिम रनिंग बिल के अनुसार रु 220.90 लाख का ही निर्माण कार्य किया गया था अर्थात 35 प्रतिशत कार्य ही किया गया था अनुबंध के अनुसार लगभग 1 वर्ष पूर्व ही निर्माण कार्य पूर्ण होना था। स्टेज-1 का कार्य पूर्ण हुये बिना ही स्टेज -2 का अनुबंध का गठन भी कर दिया गया था स्टेज -2 की प्रगति शून्य थी।

(3) ठेकेदार को मोब्लाइजेशन अग्रिम व मशीन क्रय हेतु अग्रिम रु 81.79 लाख दिया गया था जिसकी वसूली लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं की गयी थी। मशीन क्रय की गयी है या नहीं इस आशय का कोई साक्ष्य / टैक्स इनवाइस प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त अनियमिताओ के संदर्भ मे इंगित किए जाने पर विभाग ने स्वीकार करते हुये बताया कि – खंड मे अमीन की कमी होने के कारण प्रतिकर प्रस्ताव के गठन मे विलम्ब हुआ है, धीमी प्रगति के बारे मे बताया गया कि – प्रभागीय वनधिकारी के द्वारा कार्य अवरुद्ध कराया गया है ओर कार्य को पुन: प्रारम्भ की अनुमति भी प्रदान नहीं की गयी है इस कारण से कार्य पूर्ण होने की तिथि निर्धारित नहीं है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि यदि उपरोक्त नियमो का पालन करके वन विभाग की विधिवत स्वीकर्ति प्राप्त करके एवं अन्य भूमि का प्रतिकर भुगतान कर कार्य प्रारम्भ किया जाता तो प्रभागीय वनधिकारी द्वारा कार्य अवरुद्ध नहीं किया जा सकता था । अत: अनियमित रूप से कार्य प्रारम्भ कर रु 353.88 लाख राशि व्यय किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-4 रु 1437.34 लाख स्वीकृत राशि के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार **Insurance 13.1** The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) Personal injury or death.

Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

13.3 (a) The Contractor at his cost shall also provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for personal injury or death which are due to the Contractor's risks:

13.3 (b) Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for approval before the completion date/start date.

13.4 Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Employer.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

उपरोक्त नियमो के अनुपालन मे कार्यो का बीमा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि तक वैध होना आवश्यक है जिससे कि निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान शासन को न करना पड़े क्षति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाए । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- निम्नलिखित कार्य निर्माणाधीन है परंतु बीमा नहीं कराया गया था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि भविष्य मे चालू निर्माण कार्यो का बीमा करने की कार्यवाही की जाएगी उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बीमा विभाग को उपलब्ध होना चाहिए था । यदि ठेकेदार ने नहीं कराया तो विभाग द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटोती करके बीमा किया जाना चाहिए था ।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाख मे	व्यय राशि रु लाख मे
1	Mahidanda to bagiyal gaon मोटर मार्ग	274.57	154.99
2	bhankoli to agora मोटर मार्ग	178.47	178.19
3	D.T. Road to kumar kot मोटर मार्ग	276.87	215.38
4	Kunjan to Tihar मोटर मार्ग	273.32	70.69
5	जामक से बयाना मोटर मार्ग	434.11	79.30
		1437.34	698.55

अत: रु 1437.34 लाख स्वीकृत राशि के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाने व रु 698.55 लाख राशि का व्यय एस बी डी के प्रावधानों के विरुद्ध किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग- II (ब)

प्रस्तर-5 : नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण कार्मिकों को ₹1.61लाख का वेतन/ भत्तों का अधिक भुगतान का प्रकरण।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड, उत्तरकाशी में कार्यरत सभी 07 अपर सहायक अभियन्ताओं श्री शिवराज सिंह रावत, श्री प्रशान्त बहुगुणा, श्री संजीत भण्डारी, श्री दीपक बहुगुणा, श्री कुलदीप नैथानी, श्री गोविन्द सिंह बिष्ट एवं श्री मनीष राणा की सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार उक्त सभी कार्मिकों को प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक अनुभाग-2), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-233/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-2/ई-06/प्रो0 दिनांक- 11.07.2019 के द्वारा अपर सहायक अभियन्ता के पद का नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य करते हुए दिनांक 17.01.2019 से प्रोन्नत किया गया है। कनिष्ठ अभियन्ता (वेतन स्तर-07) से अपर सहायक अभियन्ता (वेतन स्तर-08) के पद पर नॉन फंक्शनल वेतनमान के अंतर्गत प्रतिस्थापित किए जाने पर उक्त सभी कार्मिकों को पदोन्नति के अनुसार वेतनवृद्धि अनुमन्य करते हुए वेतन निर्धारण किया गया है, जबकि शासनादेश संख्या- 499/XXX(2)/2015 दिनांक- 17.12.2015 के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के मध्य सर्जित अपर सहायक अभियन्ता का पद पदोन्नति का पद नहीं है। इस प्रकार नियम विपरीत वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण उक्त सभी कार्मिकों में प्रत्येक को वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने की तिथि (17.01.2019) से जनवरी 2021 तक की अवधि में ₹23025/- एवं सभी को कुल धनराशि ₹1,61,175- (@23025*7) का वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण संलग्न तालिका-I के अनुसार है।

उक्त प्रकरण के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण कार्मिकों को ₹1.61 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
99/2011-12	1,2,3	-
13/2014-15	1,2,3	1,2,3
195/2015-16	-	1,2,3,4,5
159/2018-19	-	1,2,3,4,5,6,7

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त	उपरोक्त	उच्च अधिकारियों के माध्यम से बाद मे प्रेसित की जाएगी ।	लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी थी ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री राजीव गोस्वामी	अधिशासी अभियंता
(2)	श्री जे एस कनियाल	अधिशासी अभियंता
(3)	श्री सुंदरलाल कुड़ियाल	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक कोई भी खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध नहीं थे ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार / उप महालेखाकार ए एम जी-2 को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)